8

निष्कर्ष

सां.स्था.क्षे.वि.यो., भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित एक योजनागत योजना है, जिसका उद्देश्य संसद सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानीय परिसम्पत्तियों के सृजन के माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं को जुटाने के लिए सक्षम बनाना है। तथापि, योजना का कार्यान्वयन विभिन्न गंभीर कमियों और चूकों से भरा हुआ थ। उपलब्ध डाटा के अनुसार योजना के अंतर्गत व्यय चुनावों के निकट समय में बढ़ गया था तथा मध्यवर्ती अवधि में निधियों का संचयन हुआ था।

सं.स. की अनुशंसाओं पर जि.प्रा. द्वारा अस्वीकार्य कार्यों की भारी संख्या का निष्पादन समुदाय आधारित परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए निधियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने में नियोजन संबंधी अपर्याप्तता को दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन में विलम्ब, नियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन न करना, निष्फल व्यय, निर्माण कार्यों का परित्याग या उपयोग न होना, खराब अनुरक्षण तथा सृजित परिसम्पत्तियों का दुरूपयोग कमियों को दर्शाता है।

योजना के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों की सीमित भूमिका थी तथा जिला प्राधिकारियों द्वारा उसके निष्पादन की मॉनीटरिंग की जिम्मेदारी मुख्यतः मंत्रालय के पास है। तथापि, मंत्रालय जिला प्राधिकारियों से उपयोग प्रमाणपत्रों और लेखापरीक्षित लेखे प्राप्त करने और उनके विश्लेषण करने में, विफल रहा। मंत्रालय के पास उपलब्ध योजना की प्रगति तथा जि.प्रा. द्वारा अप-लोड किया गया डाटाबेस पूरा नहीं था, पुराना और बहुत सी कमियों और त्रुटियों के साथ इसका उपयोग योजना को मॉनीटरिंग करने के लिए कम था।

जिला प्राधिकारी योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी था परन्तु निकटतम मॉनीटरिंग प्राधिकारी के लिए जवाबदेह नहीं था। साथ ही मंत्रालय, अपेक्षित प्राधिकारी को अनुपालन के लिए बाध्य किए बिना योजना को मॉनीटर करने के लिए उत्तरदायी है। योजना दिशानिर्देशों में निष्पादित निर्माण कार्यों के संबध में राज्य नोडल विभाग के प्रति जि.प्रा. की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था परिमापित नहीं की गई। राज्य सरकार द्वारा योजना की मॉनीटरिंग मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति की वार्षिक बैठकों तक सीमित रही, जो कि बहुत राज्यों/सं.शा.क्षे. में या तो नहीं की गई या नियमित रूप से नहीं की गई थी। यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि निर्माण कार्यों के निष्पादन में कमियों पर ज्यादातर लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्रतिक्रिया में मंत्रालय ने बताया कि आगे की कार्रवाई के लिए संबद्ध जि.प्रा. से

सूचना प्राप्त की जाएगी। यह न केवल स्वामित्व के अभाव को बल्कि सख्त अनुश्रवण ढांचे का अभाव भी दर्शाता था।

सां.स्था.क्षे.वि.यो. के कार्यान्वयन में नियोजन संबंधी कमियाँ पिछले 17 वर्षों से यानि योजना के प्रारंभ से ही निरन्तर बनी हुई थी। व्यपगतों को नि.म.ले.प. द्वारा दो पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (1998 और 2001) मे मंत्रालय के ध्यान में लाया गया था। 2001 की रिपोर्ट पर आठ वर्षों (2009) तक बीत जाने के पश्चात कार्रवाई टिप्पणी (का.टि.) का प्रस्तुतीकरण, अनुश्रवण पद्धतियों की स्थिति को इंगित करता है।

जबकि इस लेखापरीक्षा मे पाई गई अधिकतर कमियाँ काफी वर्षों से निरन्तर चल रही है, का.टि. में मंत्रालय द्वारा शोधक कार्रवाई की पुष्टि के बावजूद, योजना के कार्यान्वयन मे कोई प्रबल सुधार असंभावनीय प्रतीत होता है। अतः यह सिफारिश की जाती है कि मंत्रालय को योजना के उद्देश्य, परिचालित दिशानिर्देशों, वास्तविक कार्यान्वयन तथा योजना के क्रमागत कार्यान्वयन के सम्बन्ध में सर्वेक्षण करते हुए इस प्रतिवेदन में दी गई हमारी अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए, योजना के लाभों का ध्यानपूर्वक समीक्षा एवं मूल्यांकन करना चाहिए।

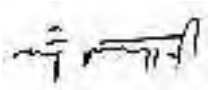

नई दिल्ली **(रॉय मथरानी)**

दिनांक 8-3-2011 **महानिदेशक लेखापरीक्षा,**

केन्द्रीय व्यय

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(विनोद राय)**

दिनांक 9-3-2011 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**